

शुद्ध

भी एमो एमो यौग्य
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

मिस्टर,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्वरी एजुकेशन,
2/17 मेल विहार, अंगारी रोड,
दरिवागंज,
नई दिल्ली ।

विद्यार्थी अनुदान-17

संख्या दिनांक 16 जुलाई, 1997

विषय:- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्वरी एजुकेशन, नई दिल्ली की अर्जापत्रों का प्रमाण-पत्र
दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह ज्ञान का संदेश प्राप्त है कि सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्वरी एजुकेशन,
नई दिल्ली की सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्वरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बन्धित
प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार की विधायिकाओं/शाखाओं के
अधीन आयोजित नहीं है।

17: सामान्य प्रतिक्रिया

111 विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया विधि में विद्यार्थी विद्यार्थी द्वारा मांसेन
एक संदेश लीगा।

121 विद्यार्थियों में कम से कम 10 प्रतिक्रिया संदेश प्रतिक्रिया विधि
संदेश विधि काय ली के शाखाओं के लिए सुरक्षित रखी तथा उनकी पत्रों व
शुद्ध विधि काय ली 3000 माध्यमिक विद्या परि-नद/ देवि
विद्यार्थी परि-नद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यार्थियों के विभिन्न
शाखाओं के लिए निर्धारित है।

131 संदेश की राज्य सरकार द्वारा बोर्ड अनुदान नहीं दिया जायगा।

141 संदेश के सभी अध्यापक/अध्यापिकाओं प्रतिक्रिया ली हैं । संदेश
के विद्यार्थी तथा विद्यार्थीगत कक्षा विधियों की राज्य सरकार से
अनुदानित समझौतेय विद्यार्थियों में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अन्य भागों
में कम वित्तमान तथा अन्य भागों नहीं दिए जायेंगे ।

151 राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के विद्यार्थी विभाग द्वारा
की भी अर्जा-निर्गत किए जायेंगे उनका पालन संस्था के लिए

(Handwritten signature and date)

अनिवार्य होगी।

161 विद्यालय का अनुशासन तथा विद्यार्थी का स्वतः उत्थन को बढ़ावा दिया जाएगा।

162 विद्यार्थी प्रशिक्षण

111 विद्यालय की प्रबन्धन समिति संविच्छेद होगी तथा माध्यमिक पर विद्यार्थी द्वारा उत्तम कर्तव्योत्प्रेरण भी कराया जाएगा।

121 विद्यालय में प्रत्येक छात्र व अनुशासन के लिए उचित आकार का एक छात्र क्लब, दो वैकल्पिक विभाग क्लब, पुष्पकला क्लब तथा वार प्रशासनिक क्लब की व्यवस्था की जाएगी।

131 कक्षा-शिष्टाचार को बढ़ावा देना जारी रखा जाएगा तथा उन्हें अतिरिक्त सहायक प्रमुख विद्यार्थी के कक्षा-शिष्टाचार को अनुमति देना-निवृत्ति के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

141 विद्यालय का शैली-संशोधन तथा शिष्टाचार सुधारा/परिष्कार में लगे जाएंगे।

2- इस शर्तों का पालन किया जाता रहेगा और किसी भी समय इन शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनाचारिता प्रमाण-पत्र" वापस ले लिया जाएगा।

आपका,

1 सचिव राज्य शिक्षा सचिवालय
आ दिल्ली

NO-309311/15-17-87RE, दिनांक

प्रतिनिधि विभागाध्यक्ष को सूचनाएं दी जाती:-

- 1- शिक्षा विभाग, जयपुर, अतिरिक्त।
- 2- उप शिक्षा विभाग, जयपुर, अतिरिक्त।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षण, जयपुर।
- 4- निरीक्षण, अल्प भारतीय विद्यालय, जयपुर, अतिरिक्त।
- 5- प्रबन्धक, जेएन केबीए स्कूल, जयपुर, अतिरिक्त।

जायत है,

1 सचिव राज्य शिक्षा सचिवालय
आ दिल्ली